राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या ....663/2012..जिला.......सीकर...

उनवान— वरदा सेवा समिति, जरिये सचिव राजेश कुमार कटारिया पुत्र श्री ओमनारायण कटारिया नीमकाथाना
राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक–नीमकाथाना व अन्य, जिला–सीकर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ताम जारी हु
08.01.2015	**एकलपीठ** **श्रीमति आशा कुमारी, सदस्य** प्रार्थी की ओर से राजेश कुमार कटारिया, सचिव, वरदा सेवा समिति, नीमकाथाना, सीकर व विद्वान अभिभाषक श्री संदीप शर्मा अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री जमील जई, उप–राजकीय अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी पर बहस हेतु उपस्थित हुये। प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक व सचिव श्री राजेश कुमार कटारिया ने स्वयम् द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, कथन किया कि प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.2(6)वित्त/कर/2014–143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को 'विदड्रा' करना चाहता है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने इस संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विदड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विदड्रा करने के कारण, प्रस्तुत निगरानी ''सारहीन'' हो जाने के कारण खारिज की जाती है। आशा कुमारी 08.1.15 (आशा कुमारी) सदस्य	507. ...